न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 39/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022/108

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
जगदीश पुत्र साजन वगैरह	साजन पुत्र सुरजन वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 02.11.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 12 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जयप्रकाश बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5, 6 (अ, 1, 2, 3 ब, स), 7, 8, 9, 10 (अ, ब), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 27.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा लियादरा पटवार क्षेत्र बिजरोल में प्रार्थीगण की पुश्तैनी खेत के पुराना खसरा नंबर 117 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 118 रकबा 51 बीघा 06 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 342 रकबा 3.50 हैक्टैयर, खसरा नंबर 356 रकबा 4.82 हैक्टेयर इस खाते का कुल रकबा 8.32 हैक्टेयर व खसरा नंबर 355 रकबा 0.05 हैक्टेयर के आये हुए है जिसमें प्रार्थी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्ध हक हकूकों का आया हुआ है। मौके पर पुश्तैनी कब्जा भी प्रार्थीगण का स्थित है। उक्त आराजी को वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है जो प्रार्थी के दादा सुरजन को प्राप्त हुई, सुरजन के फौत होने पर प्रार्थी के पिता साजन, खंगारा के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध हक हकूक व अधिकार है। प्रार्थीगण का मौके पर पुश्तैनी कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग आया हुआ है। मौके पर प्रार्थीगण का रहवासीय [illegible] स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नहीं हुआ है। संयुक्त आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण का कण कण में पुश्तैनी, हक हिस्सा मौजूद है व था। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हकहकूक निहित होने से प्रार्थीगण का अपने दादा सुरजन पुत्र केहरा से प्रार्थीगण के पिता साजन, खंगारा पिसरान सुरजन को प्राप्त हुई, जो मिसल बंदोबस्त प्रथम, द्वितीय से साबित है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसके पुराने खसरा नंबर 117, 118 रकबा 51 बीघा 15 बिस्वा के आये हुए थे, जिसके उपरोक्त नवीन खसरों का सृजन हुआ है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा नोशनल शेयर का आया हुआ है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जिला जालोर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

हिस्से अधिकार, प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध का है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम लियादरा के खसरा नंबर 342 रकबा 3.50 हैक्टैयर, खसरा नंबर 356 रकबा 4.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 355 रकबा 0.05 हैक्टेयर आराजी में प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोर्ठ दखलंदाजी नहीं करे एवं न ही करावें। वादग्रस्त आराजी का बैचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 17 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर वादग्रस्त भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम अप्रार्थीगण को आपत्ति नहीं है। जवाब दो बार पढ़कर सुनाया गया सुन समझ सही होना स्वीकार कर राजी खुशी अंगुठा हस्ताक्षर किये है

अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5, 6 (अ, 1, 2, 3 ब, स), 7, 8, 9, 10 (अ, ब), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 12 ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल के पुराने खेत खसरा नंबर 117 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 118 रकबा 51 बीघा 06 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 342 रकबा 3.50 हैक्टैयर, खसरा नंबर 356 रकबा 4.82 हैक्टेयर, खसरा नंबर 355 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके [illegible] स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:45 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **27.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर